सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 719 राँची, गुरुवार, 12 सितम्बर, 2019 (ई०)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

8 मार्च 2019

विषयः- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में प्रशिक्षु परिचारिकाओं के एक वर्ष के लिए संस्थान में सेवा देने के संबंध में।

संख्या:-11/रिम्स(स्था०)-01-07/2018- 69(11) स्वा०/-- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची में चिकित्सा विषयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०), स्नात्कोत्तर (पी०जी०) एवं डिप्लोमा कोर्स के अतिरिक्त नर्सिंग संबंधित ए०एन०एम०, जी०एन०एम० कोर्स भी संचालित किए जाते हैं, जो भारतीय परिचारिका पर्षद (Indian Nursing Council) से मान्यता प्राप्त है। रिम्स विनियम, 2014 के नियम-12(VI) के प्रावधानों के तहत रिम्स अन्तर्गत संचालित परिचारिका विद्यालय एवं परिचारिका महाविद्यालय का नियंत्रण रिम्स प्रशासन/शासी परिषद् के अधीन है।

2. रिम्स, राँची 1500 शय्या वाला राज्य का एकमात्र उत्कृष्ट संस्थान है, जहाँ राज्य एवं राज्य के बाहर से आनेवाले मरीजों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। संस्थान के लिए पूर्व से केवल 626 परिचारिकाओं का पद सृजित है। इस प्रकार मरीजों की तुलना में परिचारिकाओं की अत्यंत कमी है। रिम्स अन्तर्गत संचालित परिचारिका विद्यालय एवं परिचारिका महाविद्यालय में कुल 130 सीटों पर

नामांकन किया जाता है, जिसकी विवरणी इस प्रकार हैः- Basic B.Sc. Nursing Course-50 सीट, Post Basic B.Sc. Nursing Course-30 सीट एवं GNM Course-50 सीट)

3. राज्य अथवा संस्थान में नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण कोर्स पूर्ण होने के उपरांत सभी छात्र/छात्राएं या तो अन्यत्र राज्य में पलायन कर जाते हैं या किसी निजी अस्पताल या क्लीनिक में कार्य करते हैं या आउटसोर्सिंग के तहत कार्य करते हैं, जिससे उनकी क्षमता का ह्रास होता है। इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रु 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) प्रति माह के मानदेय पर एक वर्ष के लिए सेवा लेने के प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस प्रकार कुल 130 प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं को प्रत्येक वर्ष कोर्स समाप्ति के उपरांत एक वर्ष के लिए सेवा लिये जाने पर कर्मियों की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही इससे सभी छात्र/छात्राओं को कार्य अनुभव भी प्राप्त होगा।

4. एक वर्ष तक संस्थान में सेवा देने हेतु सभी प्रशिक्षु परिचारिकाओं से प्रवेश के समय शपथ-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि वे कोर्स समाप्ति के उपरांत रु 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) प्रति माह के मानदेय पर एक वर्ष की सेवा देंगे। उक्त प्रावधान के तहत कुल 130 प्रशिक्षु परिचारिकाओं के मानदेय में कुल रु 1,56,00,00,000/- (एक करोड़ छप्पन लाख रुपये मात्र) का अनुमानित वार्षिक व्यय होगा, जो रिम्स, राँची द्वारा वहन किया जाएगा। शपथ पत्र का पालन नहीं करने की स्थिति में 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) की राशि वसूलनीय होगी।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक-64(11) दिनांक-27.02.2019 में निहित उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-06.03.2019 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०-03 के रुप में स्वीकृति प्राप्त है।

6. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रवृत होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

डा० नितीन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 719 -- 50